राजस्थान में पंचायतीराज में महिला सहभागिता की प्राम्भिक स्थति

Researcher scolar- jv'n प्रतिभा तिवाड़ी

Jayoti vidyapeet women's university Jaipur

1परिचय - इस शोध पत्र का मुख्य उदेश्य राजस्थान में महिलाओं की पंचायती राज में भागेदारी का अध्यन करना हें की किस प्रकार राजस्थान में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ता चला गया हें।प्राचीन भारत के इतिहास में केवल कुछ महिलाओं के नाम देखने को मिलते हें क्यों की भारत वर्ष में महिलाओं को केवल पुरुषः के उपभोग के लिए ही समझा जाता था प्राचीन समय में महिलाओं की किसी भी क्षेत्र में भागे दारी बहुत ही कम देखने को मिलती लेकिन इस शोध पत्र का मुख्य उदेश्य यह रखा गया हें की महिलाओं को अधिक से अधिक जाग्रत किया जाये।भारत में महिलाओं का स्थान विषय पर गठित समिति ने 1974 में अनुशंसा की थी कि ऐसी पंचायतें बनाई जाऐं जिनमें केवल महिलाएं ही हों। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द विमेन, 1988 ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की थी। महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण को पंचायतीराज सं स्थानों में राव समिति द्वारा प्रस्तुत संतुतियों की सबसे महत्पूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखी गई। वर्तमान सृजनषील समाज में नारीवादियों द्वारा आत्मनिर्णय एवं स्वाषासन के लिए सामाजिक रूपांतरण की मांग प्रबल हुई है। इसकी अभिव्यक्ति भारतीय संसद में 110वें व 112वें संविधान संषोधन विधेयक, 2009 के रूप मंे हुई, जिनका संबंध क्रमषः पंचायतीराज और शहरी निकायों के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए निर्धारित 33 प्रतिषत सीटों को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने से था।

प्रस्तावित शोधपत्र के प्रमुख लक्ष्य व उदेश्य -देश की पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला नेतृत्व विकास का अध्ययन करनाहै। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की स्वतंत्रता, राजनीति में उनकी भागीदारी तथा समाज में उनके आगे आने अथवा पुरुष में उनकी समानता आदि प्रश्न के बारे में जब हम सोचते हैं तो समाज में महिलाओं की एक दयनीय स्थिति उभरकर सामने आती है। महिला सशक्तीकरण के इतने प्रयास महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को बनाते हैं परन्तु राजनीति का क्षेत्र लम्बे समय से पुरुष का रहा है तथा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी नाममात्र की रही है, इसलिए उनका सशक्तीकरण ही इस शोध का मुख्य उदेश्य रहा हें ग्रामीण क्षत्रों में सत्ता का स्वरुप सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पृष्टभूमि में तीन प्रकार के पंचायत पदाधिकारियों के रुप में व्यक्त किया जा सकता है सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेम्बरसत्ता के स्वरुप में अपनी स्थिति के कारण ये सभी निर्णय प्रक्रिया पर असर डालते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के इन लोकप्रिय प्रतिनिधियों का व्यवहार ही पंचायतों के निर्णय को प्रभावित करता है इसलिए इनकी राजनैतिक पृष्ठभूमि, राजनैतिक महत्वाकांक्षा, स्वयंसेवी संगठनों में भागीदारी, संबंधि पंचायतों की समस्याओं की समझ, ग्रामीणों से सम्पर्क और राजनीतिक निष्ठा के बारे में विस्तृत विचारविमर्श से आ रहे बदलावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

शोधपत्र की अध्ययन पद्धति= प्रस्तुत शोधपत्र में भारत वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिका एवं उनके सशक्तीकरण के लिए उत्तरोत्तर हुए विभिन्न आयामों का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय आयाम के अंतर्गत संपूर्ण देश में महिलाओं की शिक्षा उनकी वर्तमान स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर अध्ययन किया गया है।शोध के उदेश्य एवं क्षेत्र के अनुसार ऐतिहासिक, तुलनात्मक, पर्यवेक्षण, साक्षात्कार अनसूची, सारणीकरण, सांख्यिकी इत्यादि पद्धतियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद संपन्न हुए पंचायत चुनाव में प्रत्यक्ष रुप से सहभागी हो कर निकट से चुनाव के व्यावहारिक तरीकों का भी अध्ययन इस शोधपत्र में किया गया है।

शोध क्षेत्र-14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में एक लम्बे सघर्ष के बाद स्वतन्त्रता का अरूणोदय हुआ। राष्ट्र ने महात्मागॉधी के नेतृत्व में अहिंसक संघर्ष के माध्यम से जो स्वतन्त्रता प्राप्त की वह मानव जाति के इतिहास में एक अद्भुत घटना थी। क्योंकि भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन एक आंदोलन होने के साथ–साथ राष्ट्र के लाखों लोगों की

सामाजिक–आर्थिक मुक्ति का परिचायक भी था। स्वतन्त्रता आंदोलन का एक मात्र उद्देश्य दासता की बेड़ियों को उतार फेंकना ही नहीं था अपितु स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए किये गये इस संघर्ष में यह दृढ़ विश्वाश अन्तर्निहित था कि राजनीतिक रूप से स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ–साथ जनता की सामाजिक आर्थिक स्वतन्त्रता के बेहतर प्रयास किय जायेंगे। स्वतन्त्रता के इस पावन अवसर पर संविधान सभा के समक्ष भाषण देते हुए पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा था :–वर्षो पूर्व हमने नियति के साथ एक प्रतिज्ञा की थी और वह समय आ गया है जबकि हम उस प्रतिज्ञा को सर्वस्व में तो नहीं लेकिन अधिकांश में पूरा करेंगे। ठीक आधी रात के समय जबकि सारा संसार निद्रामय है, भारत के जीवन तथा स्वतन्त्रता का स्वर्णविहान होगा। इतिहास में कभी कभार ही वह क्षण आता है, जब हम पुरातन युग से नूतन युग में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अन्त हो जाता है और जब दीर्घकाल से सोई हुइ राष्ट्र की आत्मा जग उठती है। यह उचित ही है कि इस गम्भीर अवसर पर प्रतिज्ञा करें कि हम भारत की, उसके नागरिकों की और इससे भी अधिक मानवता की सेवा करेंगे।''

इस प्रकार 15 अगस्त1947 को भारतीय इतिहास में नवीन युग का सूत्रपात हुआ। लगभग 200 वर्षो की दासता की विमुक्ति के बाद भारतीय जनमानस ने स्वतन्त्रता एक अनिर्वचनीय प्रसन्नता में राहत की सांस ली। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा जिस जनतांत्रिक प्रणाली की नींव रखी गयी उससे भारतीय जनता की भाशाओं व अपेक्षाओं में निरन्तर प्रगति महसूस की गयी। दूसरी तरफ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उत्तरोत्तर विकास के चलते शासन भी जनता की भाशाओं व अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहता था जिससे जनता को भी यह महसूस हो सके कि भारत में सही अर्थों में जनता का शासन मौजूद है। देश का कोई भी नागरिक ऊपर सेलेकर नीचे तक किसी भी राजनीतिक प्रणाली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए पं0 नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष कहा था कि :–'' इस संविधान सभा का सर्वप्रथम कार्य भारत को नये संविधान के माध्यम से स्वतन्त्रता प्रदान करना, भूख से पीड़ित लोगों को भोजन देना, वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र देना तथा प्रत्येक भारतीय को उसकी क्षमता के अनुसार उन्नति करने हेतु अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। इस समय भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गरीब और

भूख से पीड़ित लोगों की समस्या को कैसे हल किया जाय। हम जहाँ

कहीं भी जाते हैं हमें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि हम इस समस्या को शीघ्र हल नहीं कर सके तो हमारा कागजी संविधान अनुपयोगी और निरर्थक हो जायेगा।''जब हम अपने अतीत पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में गार्गी और मैत्रेयी जैसी प्रसिद्ध महिला दार्शनिक थीं जो पुरूषों के स्तर पर ही भाषण–प्रवचन तथा बहस–मुवाहिसों में हिस्सा लिया करती थीं। हमारे स्वाधीनता आंदोलन में भी महिलाओं का योगदान पुरूषों से थोड़ा भी कम नहीं था। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ने के महात्मा गाँधीके आह्वान पर ऐसे समय में महिलाओं ने उसमें हिस्सा लिया जब सिर्फ 20 प्रतिशत महिलाएँ ही निश्चित थीं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना कितना कठिन था, परन्तु तब भी वे बाहर निकलीं। आजादी के बाद भी संविधान सभा के सदस्य के रूप में महिलाओं ने स्वतन्त्र भारत के लिये संविधान का मसौदा तैयार करने के में हिस्सा लिया। यह गर्व की बात है कि डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के प्रस्ताव पर संविधान ने पुरुषों से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, जिससे ऐसी व्यवस्था वाले चुनिंदा देश की श्रेणी में भारत भी शामिल हो गया। इसके अलावा एक लंबी लड़ाई के बाद 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें एक तिहाई आरक्षण की भी व्यवस्था

(वर्तमान में कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत) कर दी गयी, किन्तु इन सबके बावजूद क्या सही अर्थों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाया है ?

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए यह आवश्यक है कि लोकतंत्र को एक व्यापक भागीदारी वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाय, जिसमें ग्रासरूट स्तर परआमआदमी व नागरिक खुद अपने, समुदाय और अपने काम को प्रभावित करने वाले फैसलों में सीधे भाग लें।यह स्थानीय स्तर पर नागरिकों के सशक्तिकरण और सेवाओं के वितरण में उनकी भागीदारी चाहता है। ज्यांद्रेज और अमर्त्य सेन मानते हैं कि स्थानीय लाकतंत्र के अभ्यास को भी, जो व्यापक राजनीतिक शिक्षा का रूप है, गाँव की राजनीति के संदर्भ में लोग संगठित होना, अपने अधिकारों की माँग करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना और सबसे बढ़कर शासन में स्थानीय स्तर पर निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में भागीदारी सुनिश्चित होती है। सीखने की यह प्रक्रिया न केवल स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बताता है बल्कि सामान्य राजनीतिक भागीदारी के लिए उनकी तैयारियों को भी बढ़ाता है। आम आदमी ही लोकतंत्र की जड़ है तथा उनकी भागीदारी सरकार को बैधता प्रदान करती है। उसमें भी महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाती है, क्योंकि जब तक दुनिया की आधी आबादी को शासन तथा निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा भागीदार नहीं बनाया जायेगा महिलाओं की स्थिति नहीं बदली जा सकेगी। हालाँकि नागरिक के रूप में अपने स्वय के हितों और अधिकारों को पाने के लिए महिलाओं द्वारा अनौपचारिक राजनीतिक गतिविधियों की तेजी से वृद्धि होना स्वीकारता है, किन्तु औपचारिक राजनीतिक ढाँचे में उनकी भूमिका लगभग अपरिवर्तित बनी हुई है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के मुद्दे ने1995

में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन के समय महिलाओं के अधिकारों के लिए वैश्विक बहस में रफ्तार पकड़ी है।पुरुषवादी मानसिकता के शिकार लोग अक्सर यह तर्क देते हैं कि निरक्षर महिलायें पंचायतों का कामकाज ठीक ढंग से नहीं समझ सकती है लेकिन सवक्षणों के निष्कर्ष इसके उलट हैं। पिछले 20-22 वर्षों से भारत में पंचायतों के माध्यम से सशक्तीकरण का जो दौर प्रारम्भ हुआ है, उसमें महिलाओं की शासन में हिस्सेदारी एक व्यापक अर्थ रखती है, इसे मात्र वोट देने या प्रशासनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होने के अधिकार तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, जब तक कि शासन में निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया तक उन्हें पहुँचने का अवसर न मिले। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहाँ लोक सभा और विधान सभाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मामला कई वर्षों से लंबित पड़ा है, दूसरी तरफ पंचायतों में महिलाओं को मिले एक तिहाई आरक्षण से जमीनी स्तर पर काफी बदलाव आये हैं और एक नयी राजनीतिक संस्कृति भी विकसित हुई है। राजनीतिक भागीदारी न केवल महिलाओं के हितों को बढ़ावा देने वाल महिलाओं के

विकास का प्रतीक है बल्कि यह क्षेत्र का एक हिस्सा होने के लिए अन्य महिलाओं को जागरूक बनाता है और संगठित करता है। आज भारत में 12 लाख से

अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो दुनिया के किसी देश में नहीं हैं। इतना ही नहीं अगर पूरी दुनिया के निर्वाचित महिला प्रतिनितियों की संख्या जोड़ी जाय तो भी वह संख्या इन भारतीय निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से कम ही है। इस तरह भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक ऐसी मौन लोकतांत्रिक क्रांति हो रही है जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से भले ही दिखाई नहीं दे रही है पर उसकी धीमी आँच भारतीय लोकतंत्र को मजबूतबना रही है। देश में सत्ता–विमर्श के ढाँचे में भी बदलाव ला रहीं हैं। पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जीवन और उसकी चेतना तथा संस्कृति में भी परिवर्तन लाया है।

शोधपत्र की परिकल्पना प्रस्तुत शोधपत्र म इस परिकल्पना को लेकर अध्ययन किया गया है कि नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से मिले राजनीतिक अवसर का सामाजिक एवं राजनीतिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं का सशक्तिकरण अधिक प्रभावी रुप में हो सकता है। साथ ही इन परिकल्पनात्मक तथ्यों की जांच की गयी कि

1 पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक विकास के साथ-साथ महिला उत्थान का सशक्त माध्यम हैं,

2 महिलाएँ देश की आधी आबादी हैं और वे एक जनप्रतिनिधि की भूमिका को पुरुषो के सामान ही निभा सकती हैं,

3 सामाजिक रुप से पिछड़ी तथा घर की चारदीवारी में बंद महिलाओं को राजनीतिक कोशल प्राप्त करने में समय लगेगा,

4 ग्रामीण परिवेश में पुरुष प्रभुत्व आज भी महिलाओं की राजनैतिक शसक्तीकरण व सहभागिता को स्वीकार नहीं कर पाया है,

5 ग्रामीण महिलाओं के सामने कुछ सामाजिक, आथिक व मनोवैज्ञानिक समस्याएं व बाधाएं हैं, जो उन्हें स्वतंत्र रुप से बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करने से रोकती हैं।

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, अप्रेल 1993 ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया । जिसमें देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सन्तुलन आये। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया खण्ड (9) और उसके अन्तर्गत 16 अनुच्छेद जोडे गए। अनुच्छेद 243 (5) (3) के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्छेद 243 (द) (4) में उनके लिए पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (घ) में यह उपबन्ध है कि सभी स्तर की पंचायत में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होगा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य विधि द्वारा ग्राम और अन्य स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण कर सकेगा तथा राज्य किसी भी स्तर की पंचायत में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों या पदों का आरक्षण कर सकेगा। वर्तमान में बिहार, हिमाचल प्रदेष, उत्तराखण्ड, राजस्थान और केरल ने पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 50% कर दिया है।

पंचायतों में महिलाएं

पंचायतों की संख्या की स्थिति 1 अप्रैल, 2005 के अनुसार इस प्रकार है ग्राम पंचायत 2,34,676 मध्यवर्ती पंचायत 6,097 जिला पंचायत 537 कुल पंचायत संस्थाएं 2,41,310। इन संस्थाओं में महिलाओं की संख्या और उनका प्रतिषत इस प्रकार है- जिला पंचायत में 41 प्रतिषत, मध्यवर्ती पंचायत में 43 प्रतिषत और ग्राम पंचायत में 40 प्रतिषत। पंचायतों में माध्यम से महिलाओं के सषक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी उनके लिए आरक्षित 33 प्रतिषत की न्यूनतम सीमा से अधिक है। देष में पंचायतों के 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से करीब 9 लाख महिलाएं हैं। तीन स्तरों वाली पंचायत प्रणाली में 59,000 से अधिक महिला अध्यक्ष हैं। पंचायत में पहुंची महिलाएं निःशुल्क भूमि आंवटन, आवास निर्माण सहायता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन आदि में बढ़-चढ़कर योगदान दे रही हैं।

सहभागिता बढ़ाने के उपाय- आरक्षण के कारण सैद्धान्तिक रुप से शक्ति महिलाओं के हाथों में आ गई है। परन्तु यह भी कि आज पुरुष ही सत्ता पर वास्तविक नियन्त्रण रखे हुए है। अज्ञानता एवं अनुभवहीनता, पुरुषों पर निर्भरता महिलाओं के लिए आरक्षण को अर्थहीन बना देती है। अतः यह आवश्यक है कि महिलाओं में जागरुकता लाई जाये। उनको राजनीतिक

जानकारी से अवगत करवाया जाए। जहां तक सम्भव हो उन्हे नई भूमिका को निभाने के लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाए। पंचायतों में कार्यरत महिलाओं को समय-समय पर नए कार्यक्रमों की जानकारी दी जाये तथा वर्तमान में चालू कार्यक्रमों में उन्हें कितने संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे है इसकी जानकारी भी दी जाए तभी वे ग्राम के लिए प्रभावशाली योजनाएं बना सकेंगी व विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली उनकी भूमिका पर समय-समय पर मीडिया, पत्र-पत्रिकाओं द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाए व रेडियो, व टी.वी. प्रसारणों में वार्ताओं व विशेष रुप से ग्राम पंचायतों को ध्यान में रखकर सूचनाओं का प्रसारण किया जाना चाहिए।

शोध का मूल्याकन- इस शोध का मुख्य उदेश्य है की वर्तमान में पंचायतीराज में महिलों की भूमिका बढती जा रही हें जिसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा हें की वर्तमान में महिलों को विभिन्न क्षेत्रोँ आगे आने के लिए 33 % आरक्षण दिया गया हें जिसके माध्यम से पंचायती राजनीति में भागेदारी बढती जा रही हें आज राजस्थान में महिलाओ का वर्चस्व का वभिन्न क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा हें जिससे वर्तमान समय में महिलाओं की भूमिका भिन्न स्तरों पर बढ़ती जा रही हें महिलों को आगे आने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे | लेकिन समाज में बढती समस्याओं के कारण आज भी महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम हें| राजनीति में शामिल महिलाओं को आज भी गिरी हुई नजरों से देखा जाता हें | इस शोध का मुख्य उदेश्य महिलों की सहभागिता को बढ़ना हें | व पंचायती राज में सक्रिय भागेदारी को और अधिक प्रोत्साहित करना हें

संदर्भ सूची

1 रंजन –राजीव चुनाव लोकसभा और राजनीति ज्ञान गंगा -205 सी . चावडी बाजार दिल्ली 2005|
2 डाइन के समाज व प्रजातंत्र का आर्थिक विकास भारत में -1955 |

3 दुशकिन एल – अनुसूचित जाती की भारत में विधिया भारत में सर्वेक्षण गेल 7 – 1967
4 राबर्ट डाल – प्रजातंत्र आधार के सिद्दांत शिकागो |
5 वैली एफ़ जी – रजनीतिक प्रस्तुतिकरण और चुनाव ब्रिटेन एवं लन्दन में |
6 कश्यप सुभाष – संविधान की आत्मा -1973 |
7 शर्मा पी एन महानिर्वचन और राष्टीय राजनीति और आधुनिकीकरण श्री पब्लिशिंग हॉउस नई दिल्ली -1990 |
8 जैन डॉ. एस एन भारतीय संविधान शासन और राजनीति राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी |
9 जैन डॉ . पुखराज एवं फड़िया वी एल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा 19 97|
10 खंडेला मनचन्द भारतीय राजनीति का बदलता परिद्रश्य आविष्कार पब्लिकेशन जयपुर 2005 |
11 आहूजा राम प्राचीन राजनीति और आधुनिककरण विहार की राजनीति 19 15 मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ |